



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexh/Cir/859

09.02.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: तत्काल कार्रवाई आवश्यक – पूर्व आम सभा की त्रुटियों/ लंबित दस्तावेजों का समाधान

अंधेरी (मुंबई) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) के ईजीएम अनुभाग ने निर्यातकों और सीमा शुल्क दलालों को एक सार्वजनिक सूचना (69/2025-26) जारी कर नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान शिपिंग बिल दाखिल करने और उचित अधिकारी को निर्यात सामान्य घोषणापत्र (ईजीएम) जमा करने में प्रणालीगत त्रुटियों के बारे में आगाह किया है।

इस सार्वजनिक सूचना (नीचे संलग्न देखें) के अनुसार, शिपिंग बिल दाखिल करने के बाद ईडीआई प्रणाली में ईजीएम त्रुटियां दिखाई दीं और कुछ मामलों में सही ईजीएम दाखिल नहीं की गई, जिसके कारण निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन राशि के प्रसंस्करण में देरी हुई।

इस संबंध में, सदस्य-निर्यातकों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:

1. नीचे दिए गए संलग्न से त्रुटियों वाले शिपिंग बिलों (अनुलग्नक-ए) या ईजीएम फाइलिंग लंबित होने वाले बिलों (अनुलग्नक-बी) की सूची देखें।
2. यह सुनिश्चित करें कि त्रुटियों का निवारण किया जाए या संबंधित एयरलाइंस के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, ईजीएम दाखिल की जाए।
3. इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर सीमा शुल्क, निर्यात, एसीसी (मुंबई) के अधिकारियों को सूचित करें।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे अत्यंत गंभीरता से लें क्योंकि निर्यात के बाद मिलने वाले लाभों/प्रोत्साहनों का बिना किसी देरी के लाभ उठाने के लिए ईजीएम को सही ढंग से दाखिल करना आवश्यक है।

संलग्नः

सार्वजनिक सूचना - <https://drive.google.com/file/d/1sFoGTJJqTOOsHvG8p9VKNSp8WgjfO1j/view?usp=sharing>

अनुलग्नक - ए - <https://drive.google.com/file/d/1VaUbV9km-8J35LvUzATZPQQ5vrxUtXHg/view?usp=sharing>

अनुलग्नक – बी

- https://drive.google.com/file/d/1U_1g9URpduQb_p3wRsBTIWI4kLHqQc_W/view?usp=sharing

साभार

टीम प्लेक्सकॉन्सिल